REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1000]नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2017/चैत्र 17, 1939No. 1000]NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2017/CHAITRA 17, 1939

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2017

**का.आ. 1126(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 219 और 267 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
219	183	तमिलनाडु राज्य में डिंडीगुल के निकट रारा-83 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर थेनी, उत्मपलयम, कुमिली, पिरमेड, कंजीरापल्ली, कोट्टायम, चेगन्नूर, कोल्लाकदावू, चक्कूवल्ली, आंचलममोड को जोड़ने वाला और केरल राज्य में कोल्लम पर रारा-66 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

267	183ए	केरल राज्य में भरनीकावू के निकट रारा-183 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर
		<b>अडूर,</b> पाथनमथिट्टा, वादसेरिक्करा, लहाई को जोड़ने वाला और वांडीपेरियार के
		निकट रारा-183 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/15/2013-पी एण्ड एम(पार्ट-13)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एण्ड बी)

**पाद टिप्पण:** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180, दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 14(अ), दिनांकित 3 जनवरी, 2017 द्वारा किया गया था ।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2017

**S.O. 1126(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4<sup>th</sup> April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 219 and 267 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial No.	New National Highw No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
219	183	The highway starting from its junction with NH-83 near Dindigul connecting Theni, Uttamapalaiyam in the State of Tamilnadu, Kumily, Pirmed, Kanjirappali, Kottayam, Chegannoor, Kollakadavu, Chakkuvally, Anchalmmod and terminating at its junction with NH-66 at Kollam in the State of Kerala
267	183A	The highway starting from its junction with new NH No. 183 near Bharanikavu connecting Adur Pathanamthitta, Vadserikkara, Lahai, and terminating at its junction with new NH No. 183 near Vandiperiyar in the State of Kerala"

#### [F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-13)]

### MAYA PRAKASH, Director (P&B)

**Footnote:-**The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4<sup>th</sup> April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 14 (E), dated 3<sup>rd</sup> January, 2017.